तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **डी.आर. मेघवाल बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी)** सू.अ.अपील संख्या 116/2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.22	अपीलार्थी डी.आर. मेघवाल पुत्र प्रेमाराम निवासी गांव सरेचां, बस स्टैण्ड के पास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2022 में उसके द्वारा दिनांक 03.02.2022 को जरिये रजि. डाक से प्रेषित पत्र दिनांक 11.02.2022 को हस्ताक्षर, अभियान, सभा/धरना व रैली आयोजन व लाउडस्पीकर की अनुमति चाही गई थी, प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति, कार्यालय आवक–जावक रजि. प्रति, आदेश, निर्देश, जांच, ई–मेल, अनुमति, प्रक्रिया आदि की प्रति से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर [illegible] करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:21:49 IST
Reason: SelfAttested